

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

धाराओं का क्रम

धाराएं

भाग 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम।
- परिभाषाएं।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

- झारखण्ड राज्य का बनाया जाना।
- बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।
- संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।
- राज्य सरकारों की व्यावृत्ति शक्तियां।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

- संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।
- आसीन सदस्यों का आवंटन।

लोक सभा

- लोक सभा में प्रतिनिधित्व।
- संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।
- आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

विधान सभा

- विधान सभाओं के बारे में उपबंध।
- आसीन सदस्यों का आवंटन।
- विधान सभाओं की अवधि।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
- प्रक्रिया के नियम।

बिहार की विधान परिषद्

- बिहार की विधान परिषद्।
- परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र।
- आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।
- सभापति और उप-सभापति।

धाराएं

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

21. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।
22. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

23. अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।
24. अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

25. झारखंड उच्च न्यायालय ।
26. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।
27. उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।
28. विधिज्ञ परिषद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध ।
29. उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया ।
30. उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा ।
31. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप ।
32. न्यायाधीशों की शक्तियां ।
33. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया ।
34. पटना उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अन्तरण ।
35. झारखंड उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्यवाही करने का अधिकार ।
36. निर्वाचन ।
37. व्यावृत्ति ।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

38. झारखंड राज्य के व्यय का प्राधिकृत किया जाना ।
39. बिहार राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट ।
40. राजस्व का वितरण ।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

41. भाग का लागू होना ।
42. भूमि और माल ।
43. खजाना और बैंक अतिशेष ।
44. करों की बकाया ।
45. उद्धार और अग्रिम को वसूल करने का अधिकार ।
46. कतिपय निधियों में विनिधान और जमा ।
47. राज्य उपकरणों की आस्तियां और दायित्व ।

धाराएं

48. लोक क्रृष्ण ।
49. प्लवमान क्रृष्ण ।
50. आधिक्य में संगृहीत करों का वापस किया जाना ।
51. निश्चेप, आदि ।
52. भविष्य-निधि ।
53. पेंशन ।
54. संविदाएं ।
55. अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व ।
56. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व ।
57. उचंत मर्दे ।
58. अवशिष्ट उपबंध ।
59. आस्तियों या दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन ।
60. कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
61. कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित किया जाना ।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबन्ध

62. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य भाण्डागारण निगम और राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में उपबंध ।
63. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में इंतजाम का बना रहना ।
64. बिहार राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध ।
65. कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध ।
66. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबंध ।
67. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध ।
68. कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशेष उपबंध ।
69. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध ।
70. कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना ।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबन्ध

71. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबन्ध ।
72. बिहार और झारखण्ड में सेवाओं से संबंधित उपबंध ।
73. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध
74. अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध
75. सलाहकार समितियां
76. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति
77. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध

धाराएं

भाग 9

जल स्रोतों का प्रबंध और विकास

78. जल स्रोतों का विकास और प्रबंध
79. प्रबन्ध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य ।
80. प्रबन्ध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द ।
81. बोर्ड की अधिकारिता ।
82. विनियम बनाने की शक्ति ।

भाग 10

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

83. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन ।
84. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार ।
85. विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।
86. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति ।
87. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति ।
88. विधिक कार्यवाहियां ।
89. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण ।
90. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार ।
91. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव ।
92. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवीं अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

सातवीं अनुसूची ।

आठवीं अनुसूची ।

नौवीं अनुसूची ।

दसवीं अनुसूची ।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 30)

[25 अगस्त, 2000]

विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन का और उससे
संबंधित विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 है।
2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “नियत दिन” से वह दिन। अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;
 - (ख) “अनुच्छेद” से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;
 - (ग) “सभा निर्वाचन-क्षेत्र”, “परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र” और “संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” के वही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं;
 - (घ) “निर्वाचन आयोग” से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;
 - (ड) “विद्यमान बिहार राज्य” से नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य अभिप्रेत है;
 - (च) “विधि” के अंतर्गत विद्यमान संपूर्ण बिहार राज्य या उसके किसी भाग में, नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखित है;
 - (छ) “अधिसूचित आदेश” से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है;
 - (ज) बिहार राज्य और झारखंड राज्यों के संबंध में, “जनसंख्या अनुपात” से 645.30 : 218.44 का अनुपात अभिप्रेत है;
 - (झ) संसद् के किसी सदन या विद्यमान बिहार राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, “आसीन सदस्य” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है;
 - (ज) विद्यमान बिहार राज्य के संबंध में, “उत्तरवर्ती राज्य” से बिहार या झारखंड राज्य अभिप्रेत है;
 - (ट) “अंतरित राज्यक्षेत्र” से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान बिहार राज्य से झारखंड राज्य को अंतरित किया गया है;
 - (ठ) “खजाना” के अंतर्गत उप-खजाना भी है; और
 - (ड) विद्यमान बिहार राज्य के किसी जिले, तहसील या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

3. झारखंड राज्य का बनाया जाना—नियत दिन से ही, एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम झारखंड राज्य होगा जिसमें विद्यमान बिहार राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

बोकारो, चतरा, देवगढ़, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहारदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, साहबगंज, सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम) जिले,

¹ 15 नवम्बर, 2000, अधिसूचना सं.का.०.आ० ८२९(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2000 द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड 3(ii) में देखिए।

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान बिहार राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

4. बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड—नियत दिन से ही, बिहार राज्य में धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न विद्यमान बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे।

5. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, “1. राज्य” शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) बिहार राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं”;

(ख) प्रविष्टि 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“28. झारखंड : वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।”।

6. राज्य सरकारों की व्यावृत्ति शक्तियाँ—इस भाग के पूर्वामी उपबंधों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह बिहार सरकार या झारखंड सरकार की नियत दिन के पश्चात् राज्य के किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करती है।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

7. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,—

(क) प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 29 तक को क्रमशः प्रविष्टि 5 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 3 में, “22” अंकों के स्थान पर “16” अंक रखे जाएंगे ;

(ग) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“4. झारखंड 6”।

8. आसीन सदस्यों का आबंटन—(1) नियत दिन से ही, विद्यमान बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के बाईस आसीन सदस्य, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में बिहार राज्य और झारखंड राज्य को आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।

(2) आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

लोक सभा

9. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती बिहार राज्य को 40 स्थान और उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को 14 स्थान लोक सभा में आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची में शीर्षक “1. राज्य” के अधीन,—

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“4. बिहार 53 7 5 40 7”;

(ख) प्रविष्टि 10 से 25 को क्रमशः प्रविष्टि 11 से 26 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“10. झारखंड 14 1 5”।

10. संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—नियत दिन से ही, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप में संशोधन किया जाएगा।

11. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्य को आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ है।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

विधान सभा

12. विधान सभाओं के बारे में उपबंध—(1) नियत दिन से ही, बिहार राज्य और झारखंड राज्य की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या, क्रमशः दो सौ तैनालीस और इक्यासी होगी।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की द्वितीय अनुसूची में शीर्षक “I. राज्य” के अधीन,—

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“4. बिहार ... 318 ... 45 ... 29 ... 243 ... 39”;

(ख) प्रविष्टियां 11 से 28 को क्रमशः 12 से 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“11. झारखंड 81 9 28”।

13. आसीन सदस्यों का आवंटन—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र से, जो नियत दिन को धारा 10 के उपबंधों के आधार पर, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना झारखंड राज्य को आवंटित हो गया है, उस सभा में स्थान भरने के लिए निर्वाचित विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ही बिहार की विधान सभा का सदस्य नहीं रह गया है और उसे इस प्रकार आवंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से झारखंड की विधान सभा में स्थान को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(2) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के सभी अन्य आसीन सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का जिसके विस्तार या नाम और सीमा का धारा 10 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तन हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले किसी आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से बिहार की विधान सभा में निर्वाचित हो गया है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बिहार और झारखंड की विधान सभाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियत दिन को सम्यक् रूप से गठित की गई हैं।

(4) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के आसीन सदस्य के बारे में, जिसे अनुच्छेद 333 के अधीन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सभा में नामनिर्देशित किया गया है, यह समझा जाएगा कि उसे उस अनुच्छेद के अधीन झारखंड विधान सभा में उक्त समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

14. विधान सभाओं की अवधि—अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि बिहार राज्य या झारखंड राज्य की विधान सभा की दशा में उस तारीख को प्रारम्भ हुई समझी जाएगी जिसको वह विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा की दशा में वस्तुतः प्रारम्भ हुई है।

15. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—(1) वे व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उस दिन से ही उस सभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, झारखंड की विधान सभा, उस सभा के दो सदस्यों को, क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब तक उनको इस प्रकार चुना नहीं जाता तब तक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उस सभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

16. प्रक्रिया के नियम—नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त बिहार की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, झारखंड की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगे जो उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं।

बिहार की विधान परिषद्

17. बिहार की विधान परिषद्—तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख से ही बिहार की विधान परिषद् में पचहत्तर स्थान होंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की तृतीय अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. बिहार 75 24 6 6 27 12”।

18. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र—नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1951 चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

19. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान बिहार राज्य की विधान परिषद् के सभी आसीन सदस्य उनकी वर्तमान पदावधि की समाप्ति पर उनके सेवानिवृत्त होने तक उस परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

20. सभापति और उप-सभापति—वह व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान विहार राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उप-सभापति है, उस परिषद् का नियत दिन से ही, यथास्थिति, सभापति या उप-सभापति बना रहेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

21. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) निर्वाचन आयोग, धारा 12 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित करेगा—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों का ध्यान रखते हुए, क्रमशः विहार और झारखण्ड राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या;

(ख) वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उनमें से प्रत्येक में वे स्थान जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं में समायोजन और उसके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय, उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना होगा; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे पांच व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों :

परन्तु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, जहां तक साध्य हो, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विस्मृत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ;

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एक या अधिक अदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशीत्र संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(7) विहार और झारखण्ड राज्यों में निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 1971 में की गई जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जाएगी ।

22. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) धारा 21 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

23. अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

24. अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, छठी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

भाग 4

उच्च न्यायालय

25. झारखंड उच्च न्यायालय—(1) नियत दिन से ही झारखंड राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् “झारखंड उच्च न्यायालय” कहा गया है) और पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् पटना उच्च न्यायालय कहा गया है)।

(2) झारखंड उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय झारखंड राज्य में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठ सकेंगे जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति झारखंड के अनुमोदन से नियत करे।

26. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश—(1) पटना उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो नियत दिन से ठीक पहले पद धारण कर रहे हों और राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किए जाएं, उस दिन से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) वे व्यक्ति जो उपधारा (1) के कारण झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, उस दशा के सिवाय जहां ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हो जाता है, उस न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे।

27. उच्च न्यायालय की अधिकारिता—झारखंड उच्च न्यायालय को, झारखंड राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग की बावत, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग की बावत पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थे।

28. विधिज्ञ परिषद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध—(1) नियत दिन से ही अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, “जम्मू-कश्मीर” शब्दों के पश्चात्, “झारखंड” शब्द रखा जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है, नियत दिन से एक वर्ष के भीतर ऐसे विद्यमान राज्य की विधिज्ञ परिषद् को झारखंड विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अपने नाम को अंतरित किए जाने का लिखित में विकल्प दे सकेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार दिए गए ऐसे विकल्प पर उसका नाम झारखंड विधिज्ञ परिषद् की नामावली में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दिए गए विकल्प की तारीख से अंतरित किया गया समझा जाएगा।

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार हैं, नियत दिन से ही, यथाशीघ्र, झारखंड उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित होगा जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की बाबत प्रवृत्त है।

29. उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया—पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगी और तदनुसार झारखंड उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो नियत दिन के ठीक पहले पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं:

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश जो पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिए जाते, झारखंड उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे लागू होंगे मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों।

30. उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा—पटना उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी।

31. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप—पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा विशेष आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी।

32. न्यायाधीशों की शक्तियाँ—पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

33. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया—पटना उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में, नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

34. पटना उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, पटना उच्च न्यायालय को नियत दिन से, अन्तरित राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) नियत दिन से ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन से पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वादहेतुक उत्पन्न होने के स्थान पर और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यवाहियों के रूप में प्रमाणित की जाएं जिनकी सुनवाई और उनका विनिश्चय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणीकरण के यथाशक्य पश्चात् झारखंड उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी।

(3) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, पटना उच्च न्यायालय को अपीलें, उच्चतम न्यायालय को इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन और ऐसी अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदनों जिनमें ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में नियत दिन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में कोई अनुतोष मांगा गया है, को ग्रहण करने, सुनवाई करने या उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी और झारखंड उच्च न्यायालय को नहीं होगी :

परन्तु यदि पटना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को ग्रहण किए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यह प्रतीत होता है कि उन कार्यवाहियों को झारखंड उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए तो वह यह आदेश करेगा कि वे इस प्रकार अंतरित की जाएं और ऐसी कार्यवाहियां उसके पश्चात् तदनुसार अंतरित हो जाएंगी।

(4) पटना उच्च न्यायालय द्वारा—

(क) नियत दिन से पूर्व उपधारा (2) के कारण झारखंड उच्च न्यायालय को अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में, या

(ख) ऐसी कार्यवाहियों में जिनकी बाबत पटना उच्च न्यायालय की उपधारा (3) के कारण अधिकारिता रही है,

किया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में ही प्रभावी नहीं रहेगा बल्कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रूप में भी प्रभावी रहेगा।

35. झारखंड उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्यवाही करने का अधिकार—ऐसे किसी व्यक्ति को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता है या कार्य करने का हकदार अटर्नी है और जो धारा 34 के अधीन उस उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत था, उन कार्यवाहियों के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में, यथास्थिति, उपसंजात होने या कार्य करने का अधिकार होगा।

36. निर्वचन—धारा 34 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी न्यायालय में कार्यवाहियां तब तक लम्बित समझी जाएंगी जब तक वह न्यायालय पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों का, जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चों के कराधान की बाबत कोई विवाद्यक भी है, निपटान नहीं कर देता है और उसके अंतर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिट याचिकाएं भी हैं;

(ख) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उसके किसी न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश हैं और किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का अर्थ यह

लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए दण्डादेश, पारित निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश हैं।

37. व्यावृत्ति—इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबंधों के ज्ञारखंड उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं ढालेगी, और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन रहते हुए होगा, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय की बाबत किसी विधान-मंडल या ऐसा उपबन्ध करने के लिए शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

38. ज्ञारखंड राज्य के व्यय का प्राधिकृत किया जाना—विहार का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, ज्ञारखंड राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा जो वह, ज्ञारखंड राज्य की विधान-सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लिए रहने तक, नियत दिन से प्रारंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु ज्ञारखंड का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, ज्ञारखंड राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय प्राधिकृत कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

39. विहार राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें—(1) नियत दिन के पूर्व किसी अवधि की बाबत अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विद्यमान विहार राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें को प्रत्येक उत्तरवर्ती विहार और ज्ञारखंड राज्यों के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा जो उन्हें उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएंगे।

(2) राष्ट्रपति, उत्तरवर्ती राज्यों के राज्य विधान-मंडलों के विचारों पर विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्वतर वित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर विहार की संचित निधि में से उपर्युक्त किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम के आधिक्य में हो और जैसा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टें में प्रकट हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत घोषित कर सकेंगे; और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उद्भूत किसी विषय पर कोई कार्रवाई किए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे।

40. राजस्व का वितरण—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर विद्यमान विहार राज्य को संदेय कुल रकम में विहार राज्य और ज्ञारखंड राज्य के अंश का अवधारण, आदेश द्वारा, ऐसी रीति से करेंगे, जो वह ठीक समझे।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

41. भाग का लागू होना—(1) इस भाग के उपबंध विद्यमान विहार राज्य की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में लागू होंगे।

(2) उत्तरवर्ती राज्य, पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्भूत फायदे प्राप्त करने के हकदार होंगे और उत्तरवर्ती राज्य विद्यमान विहार राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्भूत वित्तीय दायित्वों को वहन करने के लिए दायी होंगे।

(3) आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आस्तियों और दायित्वों के न्यायोचित, युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(4) वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम के संबंध में कोई विवाद आपसी करार के द्वारा तय किया जाएगा, उसमें असफल होने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, आदेश द्वारा, निपटाया जाएगा।

42. भूमि और माल—(1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान विहार राज्य के स्वामित्व की सब भूमि और सब सामान, वस्तुएं और अन्य माल—

(क) यदि वे अंतरित राज्यक्षेत्र के भीतर हों तो ज्ञारखंड राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे; अथवा

(ख) किसी अन्य मामले में विहार राज्य की सम्पत्ति बने रहेंगे :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी माल या किसी वर्ग के माल का वितरण विहार और ज्ञारखंड राज्यों के बीच माल के अवस्थान के अनुसार न होकर अन्यथा होना चाहिए वहां केन्द्रीय सरकार माल के न्यायोचित और साम्यापूर्ण वितरण के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह उचित समझे और माल उत्तरवर्ती राज्यों को तदनुसार संक्रान्त हो जाएगा।

(2) विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ, जैसे कि विशिष्ट-संस्थाओं, कर्मशालाओं या उपक्रमों में या सन्निर्माणाधीन विशिष्ट संकर्मों पर प्रयोग या उपयोग के लिए रखा हुआ सामान उस उत्तरवर्ती राज्य को संक्रान्त हो जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में ऐसी संस्थाएं, कर्मशालाएं, उपक्रम या संकर्म स्थित हों।

(3) सचिवालय से और संपूर्ण विद्यमान विहार राज्य पर अधिकारिता रखने वाले विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से संबंधित सामान उत्तरवर्ती राज्यों के बीच करार किए गए अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा या ऐसे करार के अभाव में ऐसे सामान के न्यायोचित और साम्यापूर्ण वितरण के लिए, आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

(4) विद्यमान विहार राज्य में किसी वर्ग के किसी अन्य अनिर्गमित सामान का विभाजन उत्तरवर्ती राज्यों में उस अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में नियत दिन से पूर्व तीन वर्ष की अवधि में उस वर्ग का कुल सामान विद्यमान विहार राज्य के उन राज्यक्षेत्रों के लिए क्रय-विक्रय किया गया था जो उत्तरवर्ती राज्यों में क्रमशः सम्मिलित हैं :

परन्तु जहां किसी वर्ग के सामान की बाबत ऐसा अनुपात अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या जहां ऐसे किसी वर्ग के सामान का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक न हो वहां उस वर्ग के सामान का उत्तरवर्ती राज्यों में विभाजन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगा ।

(5) इस धारा में, “भूमि” पद के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार हैं और “माल” पद के अंतर्गत सिक्के, बैंक नोट तथा करेंसी नोट नहीं हैं ।

43. खजाना और बैंक अतिशेष—नियत दिन के ठीक पूर्व विहार राज्य के सभी खजानों में की रोकड़ बाकी और उस राज्य के भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक में की जमा अतिशेषों के योग का विहार और झारखंड राज्यों में विभाजन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु ऐसे विभाजन के प्रयोजनों के लिए कोई रोकड़ बाकी किसी एक खजाने से दूसरे खजाने को अंतरित नहीं की जाएगी और प्रभाजन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में नियत दिन को दोनों राज्यों के जमा अतिशेषों के समायोजन द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि नियत दिन को झारखंड राज्य का भारतीय रिजर्व बैंक में कोई खाता न हो, तो समायोजन ऐसी रीति से किया जाएगा जिसका केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

44. करों की बकाया—संपत्ति पर किसी कर या शुल्क की बकाया को, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया भी है, वसूल करने का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य को होगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति स्थित है, और किसी अन्य कर या शुल्क की बकाया की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसके राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत नियत दिन को उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान हो ।

45. उधार और अग्रिम को वसूल करने का अधिकार—(1) विद्यमान विहार राज्य द्वारा उस राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किहीं उधारों या अग्रिमों की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिस राज्य के अन्तर्गत उस दिन वह क्षेत्र हो ।

(2) विद्यमान विहार राज्य द्वारा उस राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति या संस्था को नियत दिन के पूर्व दिए गए उधारों या अग्रिमों की वसूली का अधिकार विहार राज्य का होगा :

परन्तु ऐसे किसी उधार या अग्रिम की बाबत वसूल की गई किसी राशि का विभाजन विहार और झारखंड राज्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगा ।

46. कतिपय निधियों में विनिधान और जमा—(1) सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान विहार राज्य के रोकड़ बाकी विनिधान लेखा या लोक लेखा में किसी निधि से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा :

परन्तु विद्यमान विहार राज्य की आपदा राहत निधि में से किए गए विनिधानों में धारित प्रतिभूतियों का विभाजन उत्तरवर्ती राज्यों के अधिभोगाधीन राज्यक्षेत्रों के क्षेत्र के अनुपात में किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्णतः विद्यमान विहार राज्य की संचित निधि में से किए गए विनियोग द्वारा सृजित, विहार राज्य के लोक लेखा में आरक्षित निधियों के अतिशेष का अग्रनयन, उस सीमा तक जहां तक अतिशेषों का विनिधान सरकार के लेखा के बाहर नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती राज्यों के लोक लेखा में वैसी ही आरक्षित निधियों में नहीं किया जाएगा ।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान विहार राज्य के किसी ऐसी विशेष निधि में विनिधान, जिसके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस राज्य के होंगे, जिसमें नियत दिन को वह क्षेत्र सम्मिलित किया गया है ।

(3) किसी प्राइवेट, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान विहार राज्य के विनिधान, जहां तक ऐसे विनिधान रोकड़ बाकी विनिधान लेखा से नहीं किए गए हैं या किए गए नहीं समझे गए हैं वहां तक उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे, जिसमें उस उपक्रम के कारबार का प्रधान स्थान अवस्थित है ।

(4) जहां भाग 2 के उपबंधों के आधार पर, किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन विद्यमान विहार राज्य या उसके किसी भाग के लिए गठित कोई निगमित निकाय अंतर्राजिक निगमित निकाय हो जाता है, वहां, विद्यमान विहार राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व किसी ऐसे निगमित निकाय में के विनिधानों या उसे दिए गए उधारों या अग्रिमों का विभाजन, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विहार और झारखंड राज्यों में उसी अनुपात में किया जाएगा, जिसमें उस निगमित निकाय की आस्तियों का विभाजन इस भाग के उपबंधों के अधीन किया जाता है ।

47. राज्य उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व—(1) विद्यमान विहार राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित आस्तियां और दायित्व उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे जिसमें वह उपक्रम अवस्थित हो।

(2) जहां विद्यमान विहार राज्य द्वारा किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम के लिए अवक्षयण आरक्षित निधि रखी गई हो, वहां उस निधि में से किए गए विनिधान की बाबत धारित प्रतिभूतियां उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगी, जिसमें वह उपक्रम अब अवस्थित हो।

48. लोक ऋण—(1) विद्यमान विहार राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा के मध्ये सभी दायित्व जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभाजन का कोई भिन्न ढंग उपबंधित न किया गया हो, उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्रभाजित किए जाएंगे।

(2) उत्तरवर्ती राज्यों को आवंटित किए जाने वाले दायित्वों की विभिन्न मर्दें और एक उत्तरवर्ती राज्य द्वारा दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को किए जाने वाले अपेक्षित अभिदाय की रकम वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से आदेश करे :

परन्तु ऐसे आदेश जारी किए जाने तक विद्यमान विहार राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मध्ये दायित्व उत्तरवर्ती विहार राज्य के दायित्व बने रहेंगे।

(3) किसी भी स्रोत से लिए गए उधार और विद्यमान विहार राज्य द्वारा ऐसी इकाइयों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और जिनका प्रचालन क्षेत्र किसी उत्तरवर्ती राज्य तक सीमित है, पुनः उधार देने मध्ये दायित्व उपधारा (4) में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित राज्यों को न्यागत हो जाएगा।

(4) विद्यमान विहार राज्य का लोक ऋण, जो उन उधारों के कारण माना जा सकता है जो किसी विनिर्दिष्ट संस्था को पुनः उधार देने के अभिव्यक्त प्रयोजनार्थ किसी स्रोत से लिए गए हों और जो नियत दिन से ठीक पूर्व बकाया हों—

(क) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में के किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था को पुनः उधार दिया गया हो तो वह उस राज्य का ऋण होगा जिसमें नियत दिन को वह स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया हो ; अथवा

(ख) यदि विहार विद्युत बोर्ड, विहार राज्य सङ्कर परिवहन निगम या विहार गृह-निर्माण बोर्ड को या किसी अन्य ऐसी संस्था को जो नियत दिन को अंतर्राज्यिक संस्था हो जाए, पुनः उधार दिया गया हो तो विहार और झारखंड राज्यों में उसका विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें ऐसे निगमित निकाय या ऐसी संस्था की आस्तियों का विभाजन इस अधिनियम के भाग 7 के उपबंधों के अधीन किया जाए।

(5) जहां विद्यमान विहार राज्य ने कोई निक्षेप निधि या अवक्षयण निधि अपने द्वारा लिए गए किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए रखी हो, वहां उस निधि में से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का उत्तरवर्ती विहार और झारखंड राज्यों में विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें इस धारा के अधीन दोनों राज्यों के बीच संपूर्ण लोक ऋण का विभाजन किया जाए।

(6) इस धारा में, “सरकारी प्रतिभूति” पद से कोई ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो लोक ऋण लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई है और लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित प्ररूपों में से किसी प्ररूप में है।

49. प्लवमान ऋण—किसी वाणिज्यिक उपक्रम के लिए लघु-अवधि के वित्तपोषण का उपबंध करने के किसी प्लवमान ऋण की बाबत विहार राज्य का दायित्व, उस राज्य का दायित्व होगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह उपक्रम अवस्थित है।

50. आधिक्य में संगृहीत करों का वापस किया जाना—आधिक्य में संगृहीत संपत्ति कर या शुल्क, जिसके अंतर्गत भू-राजस्व भी है, वापस करने का विद्यमान विहार राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति अवस्थित हो, तथा आधिक्य में संगृहीत कोई अन्य कर या शुल्क वापस करने का विद्यमान विहार राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसके राज्यक्षेत्र में उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान सम्मिलित किया गया है।

51. निक्षेप, आदि—(1) विद्यमान विहार राज्य का किसी सिविल निक्षेप या निधि निक्षेप की बाबत दायित्व नियत दिन से उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में निक्षेप किया गया है।

(2) विद्यमान विहार राज्य का किसी पूर्त या अन्य विन्यास की बाबत दायित्व नियत दिन से ही उस राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में विन्यास का फायदा पाने की हकदार संस्था अवस्थित है या उस राज्य का होगा जिस तक विन्यास के उद्देश्य, उसके निवंधनों के अधीन, सीमित हैं।

52. भविष्य-निधि—नियत दिन को सेवारत किसी सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाते की बाबत विद्यमान विहार राज्य का दायित्व, उस दिन से उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वह सरकारी सेवक स्थायी रूप से आवंटित किया गया हो।

53. पेंशन—पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत विद्यमान विहार राज्य के दायित्व का उत्तरवर्ती विहार और झारखंड राज्यों को संक्रमण या उनमें प्रभाजन इस अधिनियम की आठवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार होगा।

54. संविदाएँ—(1) जहां विद्यमान बिहार राज्य ने अपनी कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई संविदा नियत दिन के पूर्व की हो, वहां वह संविदा,—

(क) यदि संविदा के प्रयोजन, नियत दिन से ही, अनन्यतः उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्यों में के किसी एक राज्य के अनन्य प्रयोजन हों, तो उस राज्य की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में; और

(ख) किसी अन्य दशा में, बिहार राज्य की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में,

की गई समझी जाएगी और वे सब अधिकार तथा दायित्व, जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या हों, उस सीमा तक, यथास्थिति, बिहार राज्य या झारखंड राज्य के अधिकार और दायित्व होंगे जिस तक वे विद्यमान बिहार राज्य के अधिकार या दायित्व होते :

परन्तु किसी ऐसी दशा में जो खंड (ख) में निर्दिष्ट हैं, इस उपधारा द्वारा किए गए अधिकारों तथा दायित्वों का प्रारंभिक आवंटन, ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार आदेश, द्वारा, निदेश दे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उन दायित्वों के अंतर्गत जो संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, निम्नलिखित भी है,—

(क) संविदा से संबंधित कार्यवाहियों से किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण द्वारा किए गए आदेश या अधिनिर्णय की तुष्टि करने का कोई दायित्व ; और

(ख) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में उपगत या उनके संबंध में उपगत व्ययों की बाबत कोई दायित्व ।

(3) यह धारा उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं की बाबत, दायित्वों के प्रभाजन से संबंधित इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और वैकं अतिशेष और प्रतिभूतियों के विषय में कार्यवाही संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के होते हुए भी उन अन्य उपबंधों के अधीन की जाएगी ।

55. अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान बिहार राज्य पर संविदा भंग से भिन्न किसी अनुयोज्य दोष की बाबत किसी दायित्व के अधीन है, वहां वह दायित्व,—

(क) यदि वाद-हेतुक, पूर्णतया उस राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है जो उस दिन से उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्यों में से किसी का राज्यक्षेत्र है तो उक्त उत्तरवर्ती राज्य का होगा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रारंभिकतः बिहार राज्य का होगा किन्तु यह ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो बिहार और झारखंड राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश दे ।

56. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान बिहार राज्य पर किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी या अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व हों, वहां विद्यमान बिहार राज्य का वह दायित्व,—

(क) यदि उस सोसाइटी या व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र उस राज्यक्षेत्र तक सीमित है जो उस दिन से बिहार या झारखंड राज्यों में से किसी का राज्यक्षेत्र है तो उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रारंभिकतः बिहार राज्य का होगा, किन्तु यह ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए होगा जो बिहार और झारखंड राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के अभाव में जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

57. उचंत मर्दे—यदि कोई उचंत मद अंततः इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकार की आस्ति या दायित्व पर प्रभाव डालने वाली पाई जाए तो उसके संबंध में उस उपबंध के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

58. अवशिष्ट उपबंध—विद्यमान बिहार राज्य की किसी ऐसी आस्ति या दायित्व का, जिसके बारे में इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में व्यवस्था नहीं है, फायदा या भार प्रथमतः बिहार राज्य को ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए संक्रान्त हो जाएगा जो बिहार और झारखंड राज्यों के बीच करार पाया जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

59. आस्तियों या दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन—जहां उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्य करार करते हैं कि किसी विशिष्ट आस्ति या दायित्व के फायदे या भार का उनके बीच प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो उससे भिन्न है जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में दी गई है, वहां उन उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस आस्ति या दायित्व के फायदे या भार का प्रभाजन उस रीति से किया जाएगा जो करार पाई जाए ।

60. कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—जहां उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्य में से कोई राज्य इस भाग के उपबंधों में से किसी के आधार पर किसी संपत्ति का हकदार हो जाए या कोई फायदा प्राप्त करे या किसी दायित्व के अधीन हो जाए और नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोनों में से किसी राज्य द्वारा निर्देश किए जाने पर

केन्द्रीय सरकार की राय हो कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह संपत्ति या वे फायदे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को अंतरित किए जाने चाहिए या उनमें से उसे अंश मिलना चाहिए या उस दायित्व मढ़े दूसरे उत्तरवर्ती राज्य द्वारा अभिदाय किया जाना चाहिए, वहाँ उक्त संपत्ति या फायदों का आवंटन दोनों राज्यों के बीच ऐसी रीति से किया जाएगा या दूसरा राज्य दायित्व के अधीन होने वाले उस राज्य को, उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार दोनों राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा, अवधारित करे।

61. कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित किया जाना—इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर या तो विहार राज्य द्वारा या झारखंड राज्य द्वारा उस अन्य राज्य को या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्यों में से किसी राज्य को संदेश सब राशियां, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर, जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेश होंगी या भारत की संचित निधि पर भारित होंगी।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबन्ध

62. विहार राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य भाण्डागारण निगम और राज्य सङ्क परिवहन निगम के बारे में उपबन्ध—(1) विद्यमान विहार राज्य के लिए गठित निम्नलिखित निगमित निकाय, अर्थात् :—

- (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड;
- (ख) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम;
- (ग) सङ्क परिवहन अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन स्थापित राज्य सङ्क परिवहन निगम,

नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत उस दिन के ठीक पहले वे कार्य कर रहे थे, इस धारा के उपबंधों और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं, कार्य करते रहेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या निगम की बाबत जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अंतर्गत ऐसा निदेश भी होगा कि वह अधिनियम जिसके अधीन वह बोर्ड या निगम गठित हुआ है, उस बोर्ड या निगम को लागू होने में ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा नियत करे, कार्य करना बंद कर देगा और उस तारीख से विघटित समझा जाएगा ; तथा ऐसे विघटन पर उनकी आस्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों का उत्तरवर्ती विहार और झारखंड राज्यों के बीच प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाएगा जो, यथास्थिति, बोर्ड या निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर उनमें करार पाई जाए, या यदि कोई करार न हो पाए तो ऐसी रीति से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे :

परन्तु किसी पब्लिक सैक्टर की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को प्रदाय किए गए कोयला के असंदर्भ शोध्यों की बाबत उक्त बोर्ड के किन्हीं दायित्वों का अनन्तिम रूप से प्रभाजन विद्यमान विहार राज्य के क्रमशः उत्तरवर्ती राज्यों में गठित राज्य विद्युत बोर्डों के बीच या इस उपधारा के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियत तारीख के पश्चात् ऐसी रीति से, जो ऐसे विघटन के एक मास के भीतर उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच करार पाई जाए या यदि कोई करार नहीं होता है तो, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, दायित्वों के समाधान और अंतिम रूप दिए जाने के अधीन अवधारित करे, किया जाएगा, जिसे उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पारस्परिक करार द्वारा या ऐसा करार न होने पर केन्द्रीय सरकार के निदेश से ऐसे विघटन की तारीख से तीन मास के भीतर पूरा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को प्रदाय किए गए कोयले के असंदर्भ शोध्यों के बकाया पर जो रोकड़ जमा व्याज से तब तक संदर्भ किया जाएगा जब तक कि उत्तरवर्ती राज्यों के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियत तारीख को या उसके पश्चात् गठित संबद्ध राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऐसे शोध्यों का समापन नहीं कर दिया जाता है।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, विहार राज्य की सरकार या झारखंड राज्य की सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी समय राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य भाण्डागारण निगम या राज्य परिवहन निगम से संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस राज्य के लिए ऐसा बोर्ड या निगम गठित करने से निवारित करती है ; और यदि राज्यों में से किसी में ऐसे बोर्ड या निगम का इस प्रकार गठन उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के विघटन से पहले किया जाता है तो—

(क) उस राज्य में विद्यमान बोर्ड या निगम से उसके सभी या किन्हीं उपक्रमों, आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए नए बोर्ड या नए निगम को समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा किया जा सकेगा; और

(ख) विद्यमान बोर्ड या निगम के विघटन पर,—

(i) कोई आस्ति, अधिकार और दायित्व, जो अन्यथा उपधारा (3) के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस राज्य को संक्रान्त हो जाते, उस राज्य के बजाय नए बोर्ड या नए निगम को संक्रान्त हो जाएगे ;

(ii) कोई ऐसा कर्मचारी, जो उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उपधारा (3) के अधीन उक्त राज्य को अन्यथा स्थानांतरित हो जाता या उसके द्वारा पुनः नियोजित किया जाता, उस राज्य को स्थानांतरित या उसके द्वारा पुनः नियोजित किया जाएगा ।

(5) उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उपधारा (3) के अधीन हुए करार में और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त उपधारा के अधीन अथवा उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन किए गए आदेश में उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के किसी कर्मचारी के,—

(i) उपधारा (4) के अधीन करार या उस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की दशा में, उत्तरवर्ती राज्यों को या उनके द्वारा ;

(ii) उक्त उपधारा के खंड (क) के अधीन किए गए आदेश की दशा में, उपधारा (4) के अधीन गठित नए बोर्ड या नए निगम को या उसके द्वारा,

स्थानांतरण या पुनः नियोजन के लिए और धारा 65 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे स्थानांतरण या पुनः नियोजन के पश्चात् ऐसे कर्मचारियों को लागू सेवा के निवंधन और शर्तों के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा ।

63. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में इंतजाम का बना रहना—यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल-प्रदाय के बारे में या ऐसे उत्पादन या प्रदाय के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के बारे में इंतजाम का उस क्षेत्र के लिए अहितकर उपांतरण इस तथ्य के कारण हो गया है या उपांतरण होने की संभावना है कि वह क्षेत्र इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंधों के आधार पर उस राज्य से बाहर हो गया है, जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत केन्द्र या अन्य संस्थापन अथवा जल-प्रदाय के लिए जलगाम क्षेत्र, जलाशय या अन्य संकर्म स्थित है तो केन्द्रीय सरकार पहले वाले इंतजाम को यावतसाध्य बनाए रखने के लिए ऐसे निदेश, जो वह ठीक समझे, राज्य सरकार या अन्य संबद्ध प्राधिकारी को दे सकेगी ।

64. विहार राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध—(1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित विहार राज्य वित्तीय निगम, नियत दिन से ही, उन क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह उस दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था, इस धारा के उपबंधों तथा ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निगम के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अंतर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि उक्त अधिनियम निगम को लागू होने में, ऐसे अपवादों तथा उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम का निदेशक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, नियत दिन के पश्चात् किसी समय निगम के, यथास्थिति, पुनर्गठन या पुनर्संगठन या विघटन की स्कीम के संबंध में, जिसके अन्तर्गत नए निगमों के बनाए जाने और विद्यमान निगम की आस्तियां, अधिकार तथा दायित्व उन्हें अंतरित किए जाने के बारे में प्रस्थापनाएं भी हैं, विचारार्थ अधिवेशन बुला सकेगा और यदि ऐसी स्कीम उपस्थित और मत देने वाले शेररधारकों के बहुमत से साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दी जाए तो वह स्कीम केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) यदि स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपांतरों के बिना या ऐसे उपांतरों के सहित जो साधारण अधिवेशन में अनुमोदित हुए हैं, मंजूर कर ली जाती है तो केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रमाणित करेगी और ऐसे प्रमाणन पर वह स्कीम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेररधारकों और लेनदारों पर भी आवद्धकर होगी ।

(5) यदि स्कीम इस प्रकार अनुमोदित या मंजूर नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार इस स्कीम को पटना और झारखंड उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उसके मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया जाए, निर्देशित कर सकेगी और उस स्कीम के बारे में न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेररधारकों और लेनदारों पर भी आवद्धकर होगा ।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विहार राज्य और झारखंड राज्य की सरकार को नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी समय राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन उस राज्य के लिए किसी राज्य वित्तीय निगम का गठन करने से निवारित करती है ।

65. कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी नियत दिन से ही और तब तक जब तक कि किसी विधि में, या उत्तरवर्ती राज्यों में हुए किसी करार में या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश में अन्यथा उपबंधित न हो, उन क्षेत्रों में जिनमें वह उस दिन से ठीक पूर्व कार्य कर रही थी कार्य करती रहेगी ; और केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी ऐसे कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के संबंध में उस उपधारा के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों में निम्नलिखित के संबंध में निदेश भी हो सकेंगे :—

(क) उत्तरवर्ती राज्यों के वीच विद्यमान विहार राज्य के कंपनी के हितों और शेररों के विभाजन के संबंध में निदेश;

(ख) कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन की अपेक्षा करने के लिए निदेश जिससे कि दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

66. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबंध—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां विद्यमान विहार राज्य या उसके किसी भाग के लिए केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंधों के आधार पर अंतरराज्यिक निगमित निकाय हो गया है वहां जब तक कि निगमित निकाय के बारे में विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं कर दिया जाता है, वह, नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में जिनकी बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था और क्रियाशील था, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-न्य समय पर जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा और क्रियाशील बना रहेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निगमित निकाय की बाबत उपधारा (1) के अधीन दिए गए किन्हीं निदेशों के अंतर्गत यह निदेश भी होगा कि कोई विधि जिसके द्वारा उक्त निगमित निकाय शासित होता है, उस निगमित निकाय को लागू होने में ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन प्रभावी होगी जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट हों।

67. कतिपय विद्यमान सङ्क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध—(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान विहार राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य में किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा, अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र के किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् विधिमान्य तथा प्रभावी समझा जाएगा और ऐसे किसी अनुज्ञापत्र पर उस क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार उत्तरवर्ती राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श के पश्चात् उन शर्तों में, जो अनुज्ञापत्र देने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्र से संलग्न की गई हों, परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी ।

(2) किसी ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में कोई परिवहन यान प्रचालित करने के लिए नियत दिन के पश्चात् किसी परिवहन यान की बाबत कोई पथकर, प्रवेश फीस या वैसी ही प्रकृति के अन्य प्रभार उद्धृत ही नहीं किए जाएंगे यदि ऐसे यान को उस दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में प्रचालित करने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त थी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभार के उद्धरण को प्राधिकृत कर सकेगी ।

68. कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशेष उपबंध—जहां केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी या उस राज्य का कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विहार राज्य के पुनर्गठन के कारण किसी रिति से पुनर्गठित या पुनर्संगठित किया जाता है या किसी अन्य निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम में समामेलित किया जाता है या विघटित किया जाता है और ऐसे पुनर्गठन, पुनर्संगठन, समामेलन या विघटन के परिणामस्वरूप ऐसे निगमित निकाय या किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी या उपक्रम द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को किसी अन्य निगमित निकाय को या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी या उपक्रम को अंतरित या उसके द्वारा पुनर्नियोजित किया जाता है वहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च, धारा 25चव या धारा 25चच या धारा 25चच में किसी बात के होते हुए भी ऐसा अंतरण या पुनर्नियोजन उसे उक्त धारा के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा :

परन्तु यह तब जब कि—

(क) ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् कर्मकार को लागू होने वाले सेवा के निवंधन और शर्तें ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन से ठीक पूर्व उसे लागू होने वाले निवंधनों और सेवा-शर्तों से कम अनुकूल न हों ;

(ख) उस निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम से, जहां कर्मकार अंतरित या पुनर्नियोजित हो, संबंधित नियोजक, करार द्वारा या अन्यथा उस कर्मकार को उसकी छंटनी की दशा में इस आधार पर कि उसकी सेवा चालू रही है और अंतरण या पुनर्नियोजन द्वारा उसमें बाधा नहीं पड़ी है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25च, धारा 25चव या धारा 25चच के अधीन विधिक रूप से प्रतिकर देने का दायी होगा ।

69. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध—जहां इस भाग के उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्ति, अधिकार और दायित्व किसी अन्य निगमित निकायों को अंतरित किए जाते हैं जो अंतरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हों,

वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय को हुई हानियां या लाभ या अभिलाभ जो अंतरण न होने पर आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत या मुजरा किए जाते, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती निगमित निकायों में प्रभाजित किए जाएंगे और ऐसे प्रभाजन पर प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आवंटित हानि के अंश के संबंध में कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी मानो वे हानियां स्वयं अंतरिती निगमित निकाय को अपने द्वारा किए गए कारबार में उन वर्षों में हुई हों जिनमें वे हानियां हुईं।

70. कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना—(1) यथास्थिति, विहार राज्य या झारखंड राज्य की सरकार, इस अधिनियम की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं की बाबत, जो उस राज्य में अवस्थित हैं, ऐसी सुविधाएं अन्य राज्य के लोगों को ऐसी अवधि तक और ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर प्रदान करती रहेंगी जो दोनों राज्य सरकारों के बीच 1 दिसम्बर, 2001 से पूर्व करार पाई जाएं या यदि उक्त तारीख तक कोई करार नहीं किया जाता है तो जैसा केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा नियत किया जाए और वे किसी प्रकार से उन लोगों के लिए उन सुविधाओं से कम अनुकूल नहीं होगी जो उन्हें नियत दिन के पूर्व दी जा रही थीं।

(2) केन्द्रीय सरकार, 1 दिसम्बर, 2001 से पूर्व किसी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहार और झारखंड राज्यों में नियत दिन को विद्यमान किसी अन्य संस्था को दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर यह समझा जाएगा कि अनुसूची का संशोधन उक्त संस्था को उसमें सम्मिलित करके किया गया है।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबन्ध

71. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबन्ध—(1) इस धारा में “राज्य काडर” पद का,—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में है; और

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में है; और

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में है।

(2) विद्यमान विहार राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के काडरों के स्थान पर नियत दिन से ही इन सेवाओं में से प्रत्येक की बाबत दो पृथक् काडर होंगे, जिनमें से एक विहार राज्य के लिए और दूसरा झारखंड राज्य के लिए होगा।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राज्य काडरों की प्रारम्भिक सदस्य-संख्या और संरचना ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार नियत दिन से पूर्व आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(4) उक्त सेवा में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विहार काडर में के थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य काडरों को ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आवंटित किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

72. विहार और झारखंड में सेवाओं से संबंधित उपबन्ध—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले विद्यमान विहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से ही विहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में अनंतिम रूप से कार्य करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा उससे झारखंड राज्यों के कार्यकलाप के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की अपेक्षा न की जाए :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निदेश नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन के यथाशीघ्र पश्चात्, साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस उत्तरवर्ती राज्य का अवधारण करेगी, जिसको उपधारा (1) में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए अनंतिम रूप से आवंटित किया जाएगा और वह तारीख अवधारित करेगी, जिससे ऐसा आवंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ माना जाएगा।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे किसी उत्तरवर्ती राज्य को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अन्तिम रूप से आवंटित किया जाता है, यदि वह राज्य में पहले से ही सेवा नहीं कर रहा है, उस तारीख से, जो संबद्ध सरकारों के बीच करार पाई जाएं या ऐसे करार के व्यतिक्रम में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, उत्तरवर्ती राज्य में सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

73. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबन्ध—(1) धारा 72 की कोई बात नियत दिन से या उसके पश्चात् संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे धारा 72 के अधीन बिहार राज्य या झारखंड राज्य को आवंटित समझा गया है, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू होने वाली सेवा की शर्तों में उसके लिए अलाभकर परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पहले की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए—

(क) यदि उसे धारा 72 के अधीन किसी राज्य को आवंटित किया गया समझा जाए तो उस राज्य के कार्यकलाप के संबंध में की गई सेवाएं मानी जाएँगी;

(ख) यदि उसे झारखंड के प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया समझा जाए तो संघ के कार्यकलाप के संबंध में की गई सेवाएं मानी जाएँगी।

(3) धारा 72 के उपबंध, किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

74. अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध—प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में ऐसे किसी क्षेत्र में जो उस दिन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में आता हो, किसी पद या अधिकार-पद को धारण करता हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, उस उत्तरवर्ती राज्य में वही पद या अधिकार-पद धारण करता रहेगा और उस दिन से ही उत्तरवर्ती राज्य की सरकार या उसके किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन से ही ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार-पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

75. सलाहकार समितियां—(1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी—

(क) इस भाग के अधीन, अपने किसी कृत्य का निर्वहन करना ; और

(ख) इस भाग के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किन्हीं अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार करना।

76. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, बिहार राज्य की सरकार और झारखंड राज्य की सरकार को ऐसे निदेश दे सकती जो उसे उस भाग के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी।

77. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध—(1) विद्यमान बिहार राज्य का लोक सेवा आयोग नियत दिन से ही बिहार राज्य का लोक सेवा आयोग होगा।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति, नियत दिन से बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होगा।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन नियत दिन से बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाए,—

(क) बिहार राज्य सरकार की सेवा की ऐसी शर्तें प्राप्त करने का हकदार होगा जो उन शर्तों से कम अनुकूल न होंगी, जिन्हें वह उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन प्राप्त करने का हकदार था ;

(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन यथा अवधारित उसकी पदावधि का जब तक अवसान न हो, तब तक पद धारण करेगा या धारण किए रहेगा।

(4) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियत दिन से पूर्व किसी अवधि की बाबत किए गए कार्य के बारे में आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के खंड (2) के अधीन बिहार और झारखंड राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी और बिहार राज्य का राज्यपाल, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जहां तक संभव हो, उन दशाओं के संबंध में, यदि कोई हो, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, दिए गए स्पष्टीकरण के ज्ञापन और इस प्रकार स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों के साथ उस रिपोर्ट की प्रति बिहार राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और झारखंड राज्य की विधान-सभा के समक्ष ऐसी रिपोर्ट या किसी ऐसे ज्ञापन को रखवाना आवश्यक नहीं होगा।

भाग 9

जल स्रोतों का प्रबंध और विकास

78. जल स्रोतों का विकास और प्रबंध—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 79 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान विहार राज्य के,—

- (i) गंगा और इसकी सहायक नदियों ; और
- (ii) सौन और इसकी सहायक नदियों,

से संबंधित जल स्रोत परियोजना की बाबत सब अधिकार तथा दायित्व, नियत दिन को ऐसे अनुपात में जो निश्चित किया जाए, और ऐसे समायोजनों के अधीन रहते हुए जो उक्त राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, किए गए करार द्वारा किए जाएं, या यदि नियत दिन से दो वर्ष के भीतर ऐसा कोई करार न हो तो जो केन्द्रीय सरकार परियोजना के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, एक वर्ष के भीतर अवधारित करे, उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार और दायित्व होंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार किए गए आदेश में केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा किए गए किसी पश्चात्वर्ती करार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई ऐसा करार या आदेश जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी परियोजना का नियत दिन के पश्चात् विस्तार या अतिरिक्त विकास किया गया है, ऐसे विस्तार या अतिरिक्त विकास के बारे में उत्तरवर्ती राज्यों के अधिकार और दायित्व होंगे ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों के अन्तर्गत,—

(क) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वितरण के लिए उपलभ्य जल को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार; और

(ख) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित विद्युत को प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार भी होगा,

किन्तु नियत दिन के पूर्व विद्यमान विहार राज्य की सरकार द्वारा सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के साथ की गई किसी संविदा के अधीन के अधिकार तथा दायित्व इनके अन्तर्गत नहीं होंगे ।

79. प्रबन्ध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य—(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनाओं में से किसी एक या उनके समुच्चय के लिए धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के प्रशासन, सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए एक बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम गंगा और सौन प्रबन्ध बोर्ड होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है), अर्थात् :—

(i) सिंचाई ;

(ii) ग्रामीण और शहरी जल प्रदाय ;

(iii) जल-विद्युत उत्पादन ;

(iv) नौचालन ;

(v) उद्योग ; और

(vi) कोई अन्य प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) उत्तर प्रदेश, विहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकार का एक-एक प्रतिनिधि, जो संबंधित सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि, जो उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) बोर्ड के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे,—

(क) उत्तर प्रदेश, विहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं से जल प्रदाय का विनियमन,—

(i) विद्यमान विहार राज्य और उत्तर प्रदेश, विहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकारों का समावेश करते हुए किया गया कोई करार या ठहराव, और

(ii) धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट करार या आदेश ;

(ब) धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के किसी विद्युत बोर्ड या विद्युत के वितरण के भारसाथक अन्य प्राधिकारी को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, प्रदाय का विनियमन,—

(i) विद्यमान विहार और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकारों का समावेश करते हुए किया गया कोई करार या ठहराव ; और

(ii) धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट करार या आदेश ;

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिकथित कार्यक्रम के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के लिए निधियों की अपेक्षा की परीक्षा और लागत में हिस्सा बटाने संबंधी करार को ध्यान में रखते हुए भाग लेने वाले राज्यों के व्यय के प्रभाजन के बारे में सलाह देना ;

(घ) उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और विजली के प्रयोजनों के लिए सन्निर्माण अवधि के दौरान जलाशयों से पानी निकालने के बारे में विनिश्चय करना;

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व;

(च) नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल स्रोत परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष या नए संकर्मों का सन्निर्माण जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(छ) ऐसे अन्य कृत्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकारों से परामर्श के पश्चात् उसे संभालें।

80. प्रबन्ध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द—(1) बोर्ड ऐसे कर्मचारिवृन्द नियोजित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त बोर्ड के गठन के ठीक पहले धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं के संबंध में संकर्मों के सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में लगा हुआ था, बोर्ड के अधीन उक्त संकर्मों के संबंध में सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो उसे ऐसे गठन से पहले लागू थीं, तब तक इस प्रकार नियोजित बना रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे :

परन्तु यह और कि उक्त बोर्ड किसी समय राज्य सरकारों या संबद्ध विद्युत बोर्ड से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे किसी व्यक्ति को उस राज्य सरकार या बोर्ड के अधीन सेवा के लिए प्रतिधारित कर सकेगा ।

(2) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकारें सब समयों पर बोर्ड को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सब व्यय को (जिसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्ते भी हैं) पूरा करने के लिए आवश्यक निधियों का उपबंध करेंगी और ऐसी रकमों को संबद्ध राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार उक्त राज्यों में से प्रत्येक को होने वाले फायदों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें ।

(3) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो समय-समय पर उसे उस सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(4) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, अपनी ऐसी शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को जो वह ठीक समझे, उक्त बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को दक्ष रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ संबद्ध राज्यों की सरकारों या किसी अन्य प्राधिकारी को निदेश जारी कर सकेगी और राज्य सरकारें या अन्य प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

81. बोर्ड की अधिकारिता—(1) बोर्ड साधारणतया संबद्ध राज्यों को जल या विद्युत का प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल, शीर्षतंत्र (वराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), नहरी नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों पर धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं तो उसे केन्द्रीय सरकार को उस पर विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

82. विनियम बनाने की शक्ति—बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और तद्दीन किए गए आदेशों से संगत हों :

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन ;

- (ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ;
- (ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन ; और
- (घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियम बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

भाग 10

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

83. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, नियत दिन से ही खंड (ग) में, “विहार” शब्द के स्थान पर, “विहार और झारखंड” शब्द रखे जाएंगे।

84. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार—इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंधों की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी किसी विधि में विहार राज्य के संबंध में राज्यक्षेत्रीय निर्देशों का, जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न कर दिया जाए, तब तक वही अर्थ लगाया जाएगा मानो वे नियत दिन के पहले विद्यमान विहार राज्य के अन्दर हैं।

85. विधियों के अनुकूलन की शक्ति—नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के विहार राज्य या झारखंड राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, जो आवश्यक या समीचीन हों, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “समुचित सरकार” पद से अभिप्रेत है संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि के बारे में केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य विधि के बारे में उसके किसी राज्य को लागू होने की दशा में, राज्य सरकार।

86. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 85 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए, अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी विहार राज्य अथवा झारखंड राज्य के संबंध में उसके लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थान्वयन, सार पर प्रभाव डाले बिना ऐसी रीति से कर सकेगा जो, यथास्थिति, उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो।

87. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति—झारखंड राज्य की सरकार अंतरित राज्यक्षेत्र की बाबत, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात् उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का प्रयोग करने के लिए जो उस अधिसूचना में वर्णित हों, सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी।

88. विधिक कार्यवाहियाँ—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान विहार राज्य इस अधिनियम के अधीन विहार और झारखंड राज्यों के बीच प्रभाजनाधीन किसी संपत्ति, अधिकारों या दायित्वों की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार हो, वहां विहार या झारखंड राज्य जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का उत्तरवर्ती हो या उसमें कोई भाग अर्जित करता हो, विद्यमान विहार राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया या उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियाँ तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी।

89. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में जो उस दिन विहार राज्य के भीतर आता हो किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न) अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष की लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्यतः उस राज्यक्षेत्र से संबंधित हो जो उस तारीख से झारखंड राज्यक्षेत्र हो, उस राज्य के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अंतरित हो जानी चाहिए तो वह प्रश्न पटना उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में,—

(क) “कार्यवाही” के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील है ; और

(ख) झारखंड राज्य में “तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी” से अभिप्रेत है—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही संस्थित की जाती, यदि वह नियत दिन के पश्चात् की गई होती ; या

(ii) शंका की दशा में, उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व विद्यमान विहार राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए।

90. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार—यदि कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान विहार राज्य में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नामावलिगत है, उस दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए, इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसका कोई भाग झारखंड राज्य को अंतरित कर दिया गया है, उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा।

91. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

92. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेंगे, जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उन्हें आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 8 दखिए)

सात आसीन सदस्यों, अर्थात्,¹ [अब्दुल्ला खान], आदरणीय धम्माविरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्त, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री [शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा] और श्री रामदेव भंडारी, जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना अब्दुल्ला खान आज़मी और आदरणीय धम्माविरियो के बारे में, जिन्हें राज्य सभा का सभापति, लाट निकाल कर अवधारित करे, यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।

सात आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री शिवु सोरेन, श्री गया सिंह, श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल, श्री अनिल कुमार, डा० आर० के० यादव रवि, श्री कपिल सिंहल, श्रीमती सरोज दुबे में से, जिनकी पदावधि 7 जुलाई, 2004 को समाप्त होगी, में से श्री शिवु सोरेन और परमेश्वर कुमार अग्रवाल के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं और अन्य पांच आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विहार राज्य को आवंटित स्थानों में से पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।

आठ आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री एस० एस० आहलूवालिया, श्रीमती कुम कुम राय, श्री फाल्नुनी राम, श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री रवि शंकार प्रसाद, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री राम कुमार आनंद और श्री विजय सिंह यादव, जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2006 में समाप्त होगी, में से श्री एस० एस० आहलूवालिया और श्री राम कुमार आनंद के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं और अन्य छह आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विहार राज्य को आवंटित स्थानों में से छह स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।

¹ अधिसूचना सं० सा०का०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित।

दूसरी अनुसूची
(धारा 10 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में,—

(i) अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“3. बिहार	53	7	5	40	7	—”;

(ख) क्रम संख्यांक 21 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“21क.	झारखण्ड	—	—	14	1	5”;

(ii) अनुसूची 2 में,—

(क) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“3. बिहार	318	45	29	243	39”;	—

(ख) क्रम संख्यांक 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“21क.	झारखण्ड	—	—	81	9	28”;

(iii) अनुसूची 5 में,—

(क) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में,—

(अ) क्रम सं० 26 से 28, 44 से 54 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(आ) क्रम सं० 29 के सामने,—

(1) प्रविष्टि “158—देवघर (अ०जा०)” का लोप किया जाएगा ;

(2) प्रविष्टि “176—काटोरिया” के पश्चात्, प्रविष्टि “177—चकाई” अंतःस्थापित की जाएगी ;

(इ) क्रम सं० 30 के सामने, प्रविष्टि “164—महगामा” का लोप किया जाएगा ;

(ई) क्रम सं० 30 के सामने, प्रविष्टि ¹[“171—सुल्तानगंज (अ.जा.)”] के पश्चात् प्रविष्टि ¹[“173—धूरिया (अ.जा.)”] अंतःस्थापित की जाएगी ;

(उ) क्रम सं० 40 के सामने, प्रविष्टि “241—गोह” के स्थान पर, प्रविष्टि “251—ईमामगंज (अ०जा०)” अंतःस्थापित की जाएगी ;

¹ अधिसूचना सं० सा०का०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित।

(अ) क्रम सं० 42 के सामने, प्रविष्टि “256—अतरी” के स्थान पर, प्रविष्टि “255—फतेहपुर (अ०जा०) 256—अतरी” रखी जाएगी ;

(ए) क्रम सं० 43 के सामने, प्रविष्टि “253—बोधगया (अ०जा०)” के पश्चात्, प्रविष्टि “254—बाराचट्ठी (अ०जा०)” अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ब) भाग ख—सभा निर्वाचन-क्षेत्र में, क्रम सं० 147 से 164, 262 से 324 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) अनुसूची 22 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची 22—क

झारखण्ड

भाग क—संसदीय सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम सं० नाम तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के अनुसार विस्तार

1. राजमहल (अ०ज०जा०)—1—राज महल—2—बोरियो (अ०ज०जा०)—3—बरहै (अ०ज०जा०)—4—लिटिपाड़ा (अ०ज०जा०)—5—पाकुड़—6—महेशपुर (अ०ज०जा०)।
2. दुमका (अ०ज०जा०)—7—शिकारीपाड़ा (अ०ज०जा०)—8—नाला—9—जामताड़ा—14—सारठ—10—दुमका—(अ०ज०जा०)—11—जामा (अ०ज०जा०)।
3. गोड्डा—13—मधुपुर—15—देवधर (अ०जा०)—12—जरमुण्डी—16—पोडैयाहाट—17—गोड्डा—18—महगामा।
4. चतरा—27—चतरा—(अ०जा०)—26—सिमरिया (अ०जा०)—74—लातेहार (अ०जा०)—75—पांकी, 73—मनिका (अ०ज०जा०)।
5. कोडरमा—19—कोडरमा—20—बड़कठा—28—धनवार—29—बगोदरा—30—जमुआ (अ०जा०)—31—गाण्डे।
6. गिरिडीह—32—गिरिडीह—33—डुमरी—34—गोमिया—35—बेरमो—42—टूंडी—43—वाघमारा।
7. धनबाद—36—बोकारो—38—सिन्दरी—39—निरसा—40—धनबाद—41—झरिया—37—चन्दनकियारी (अ०जा०)।
8. रांची—50—ईचागढ़—61—सिल्ली—62—खिजरी (अ०ज०जा०)—63—रांची—64—हटिया—65—कांके (अ०जा०)।
9. जमशेदपुर—¹[“44—बहरागोडा”]—45—घाटशिला (अ०ज०जा०)—46—पोटका (अ०ज०जा०)—47—जुगसलाई (अ०जा०)—48—जमशेदपुर पूर्व—49—जमशेदपुर पश्चिम।
10. सिंहभूम (अ०ज०जा०)—51—सरायकेला (अ०ज०जा०)—52—चाईबासा (अ०ज०जा०)—53—मझगांव—(अ०ज०जा०)—54—जगन्नाथपुर (अ०ज०जा०)—55—मनोहरपुर (अ०ज०जा०)—56—चक्रधरपुर (अ०ज०जा०)।
11. खूंटी (अ०ज०जा०)—57—खरसांवा—(अ०ज०जा०)—58—तमाड़ (अ०ज०जा०)—59—तोरपा (अ०ज०जा०)—60—खूंटी (अ०ज०जा०)—71—कोलेबिरा (अ०ज०जा०)—70—सिमडेगा (अ०ज०जा०)।
12. लोहरदगा (अ०ज०जा०)—66—मांडर (अ०ज०जा०)—67—सिसई (अ०ज०जा०)—68—गुलमा (अ०ज०जा०)—69—विशुनपुर (अ०ज०जा०)—72—लोहरदगा (अ०ज०जा०)।
13. पलामू (अ०जा०)—76—डाल्टेनगंज—80—गढ़वा—81—भवनाथपुर—77—विश्रामपुर—78—छत्तरपुर (अ०जा०)—79—हुसैनाबाद।
14. हजारीबाग—21—बरही—22—बड़कागांव—23—रामगढ़—24—मांडू—25—हजारीबाग।

¹ अधिसूचना सं० सांकानि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित।

भाग ख—विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम तथा विस्तार

साहबगंज जिला

1. **राजमहल**—राजमहल उपखण्ड में राजमहल और साहबगंज पुलिस थाने ।
2. **बोरिया (अ०ज०जा०)**—राजमहल उपखण्ड में बोरियो और तालझारी पुलिस थाने ; और गोड्डा उपखण्ड में बोआरीजोर पुलिस थाना (राजाभिटा, केरो, कैरासोल, बड़ा तेलों और बड़ापिपरा ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ।
3. **बरहैट (अ०ज०जा०)**—राजमहल-उपखण्ड में बरहैट और रांगा पुलिस थाने ; और गोड्डा उपखण्ड में सुन्दर पहाड़ी पुलिस थाना और बोआरीजोर पुलिस थाने की राजाभिटा, केरो, कैरासोल, बड़ा तेलों और बड़ापिपरा ग्राम पंचायतें ।

पाकुड़ जिला

4. **लिटिपाड़ा (अ०ज०जा०)**—पाकुड़ उपखण्ड में लिटिपाड़ा, अमरापाड़ा और हिरणपुर पुलिस थाने ; और दुमका सदर उपखण्ड में गोपीकन्दर पुलिस थाना ।
5. **पाकुड़**—पाकुड़ उपखण्ड में पाकुड़ पुलिस थाना ; और राजमहल उपखण्ड में बरहरवा पुलिस थाना ।
6. **महेशपुर (अ०ज०जा०)**—पाकुड़ उपखण्ड में महेशपुर और पाकुड़िया पुलिस थाने ।

दुमका जिला

7. **शिकारीपाड़ा (अ०ज०जा०)**—दुमका सदर उपखण्ड में शिकारीपाड़ा, रानेश्वर और काठिकुण्ड पुलिस थाने ।
8. **नाला**—जामताड़ा उपमण्डल में नाला और कुण्डाहित पुलिस थाने ।
9. **जामताड़ा**—जामताड़ा उपमण्डल में जामताड़ा पुलिस थाना (कर्माटांड, सहजपुर, पिण्डारी, लखनपुर, रतनिया, रामपुर भीठरा और कजरा ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और नारायणपुर पुलिस थाना ।
10. **दुमका (अ०ज०जा०)**—दुमका सदर उपमण्डल में दुमका टाउन, दुमका मुफ्फसिल और मसलिया पुलिस थाने ।
11. **जामा (अ०ज०जा०)**—दुमका सदर उपमण्डल में जामा और रामगढ़ पुलिस थाने ।
12. **जरसुण्डी**—दुमका सदर उपमण्डल में जरसुण्डी पुलिस थाना ; और देवघर उपमण्डल में सारवां पुलिस थाना ।

देवघर जिला

13. **मधुपुर**—देवघर उपमण्डल में मधुपुर और करौं पुलिस थाने और जसीडीह पुलिस थाने की कुशिमल, चांदडीह, पथरा और वसवरिया ग्राम पंचायतें ।
14. **सारठ**—देवघर उपमण्डल में सारठ और पालोजोरी पुलिस थाने और जामताड़ा उपमण्डल में जामताड़ा पुलिस थाने की कर्माटांड, सहजपुर पिण्डारी, लखनपुर, रतनिया, रामपुर भीठरा और कजरा ग्राम पंचायतें ।
15. **देवघर (अ०जा०)**—देवघर उपखण्ड में देवघर टाउन और मोहनपुर पुलिस थाना और जसीडीह पुलिस थाना (कुशिमल, चांदडीह, पथरा और वसवरिया ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ।

गोड्डा जिला

16. **पोड़ैयाहाट**—गोड्डा उपखण्ड में पोड़ैयाहाट पुलिस थाना और गोड्डा पुलिस थाने की बुड्हीकुरा, डामाजिलुआ, सन्डमारा, नुनवट्टा, मखनी, पथरा और पुनसिया ग्राम पंचायतें और दुमका सदन उपखण्ड में सैरेयाहाट पुलिस थाना ।
17. **गोड्डा**—गोड्डा उपखण्ड में गोड्डा पुलिस थाना (बुड्हीकुरा, डामाजिलुआ, सन्डमारा, नुनवट्टा, मखनी, पथरा और पुनसिया ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और पाथरगामा पुलिस थाना ।
18. **महगामा**—गोड्डा उपखण्ड में महगामा और मेहरमा पुलिस थाने ।

कोडरमा जिला

19. **कोडरमा**—कोडरमा उपखण्ड में कोडरमा और [सतगांव] पुलिस थाने ।

हजारीबाग जिला

¹ अधिसूचना सं० सा०का०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित ।

20. बड़काठा—कोडरमा उपखण्ड में बड़कथा और जयनगर पुलिस थाने ; और हजारीबाग सदर उपखण्ड में इचाक पुलिस थाना ।

21. बरही—हजारीबाग सदर उपखण्ड में बरही पुलिस थाना ; और कोडरमा उपखण्ड में चौपारण पुलिस थाना ।

22. बड़कागांव—हजारीबाग सदर उपखण्ड में बड़कागांव पुलिस थाना और रामगढ़ पुलिस थाने की तेरपा, पतरातु, कोटो, पलानी, हफुआ, हरिहरपुर, गेगडा, देवरिया, बड़गामा, पाली, सालगो, संकी, जावो, चेनगडा, चिकोर-लपांगा, घुटुआ, बड़काकाना और सिध्वर कलां ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और गोला पुलिस थाना ।

23. रामगढ़—हजारीबाग सदर उपखण्ड में रामगढ़ पुलिस थाना (तेरपा, पतरातु, कोटो, पलानी, हफुआ, हरिहरपुर, गेगडा, देवरिया, बड़गामा, पाली, सालगो, संकी, जावो, चेनगडा, चिकोर-लपांगा, घुटुआ, बड़काकाना और सिध्वर कलां ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और गोला पुलिस थाना ।

24. मांडू—हजारीबाग सदर उपखण्ड में मांडू और विशुनगढ़ पुलिस थाने ।

25. हजारीबाग—हजारीबाग सदर उपखण्ड में हजारीबाग पुलिस थाना ।

चतरा जिला

26. सिमरिया (अ०जा०)—चतरा उपखण्ड में सिमरिया, इटखोरी और टंडवा पुलिस थाने ।

27. चतरा (अ०जा०)—चतरा उपखण्ड में चतरा, प्रतापपुर और हंटरगंज पुलिस थाने ।

गिरिडीह जिला

28. धनवार—गिरिडीह सदर उपखण्ड में धनवार और गावां पुलिस थाने ।

29. बगोदर—गिरिडीह सदर उपखण्ड में बगोदर और विरनी पुलिस थाने ।

30 जमुआ (अ०जा०)—गिरिडीह सदर उपखण्ड में जमुआ और देवरी पुलिस थाने ।

31. गाण्डे—गिरिडीह सदर उपखण्ड में गाण्डे और बेंगाबाद थाने और गिरिडीह मुफ्फसिल पुलिस थाने की लेदा, सेमरिया, बदगुंदा, पालमो, साठीबाद, सेनाधोनी, धनयडीह, गुरो, जीतपुर, तेलोडीह, रानीडीह और करहरवारी ग्राम पंचायतों ।

32. गिरिडीह—गिरिडीह सदर उपखण्ड में गिरिडीह नगर पुलिस थाना और गिरिडीह मुफ्फसिल पुलिस थाना (लेदा, सेमरिया, बदगुंदा, पालमो, साठीबाद, सेनाधोनी, धनयडीह, गुरो, जीतपुर, तेलो-डीह, रानीडीह और करहरवारी ग्राम पंचायतों को छोड़कर) तथा पीरटांड पुलिस थाना ।

33. दुमरी—गिरिडीह सदर उपखण्ड में दुमरी पुलिस थाना और बरमो उपखण्ड में नवाडीह पुलिस थाना ।

बोकारो जिला

34. गोमिया—बेरमो उपखण्ड में गोमिया पुलिस थाना और पेटरवार पुलिस थाना (चांपी, रोहड़, चान्दो, पिचरी, अंगवाली, और चलकरी ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ।

35. बेरमो—बेरमो उपखण्ड में जरीडीह और बेरमो पुलिस थाने तथा पेटरवार पुलिस थाने की चांपी, रोहड़, चान्दों, पिचरी, अंगवाली और चलकरी ग्राम पंचायतों ।

36. बोकारो—बाघमारा उपखण्ड में चास पुलिस थाना (बिजुलिया, अलकुसा, बुढ़िविनौर, खमारबेन्दी, दुधिगाजर, कुरा, डावरटुपरा, जैतारा, पुंडरू और सरडाहा पंचायतों को छोड़कर) ।

37. चन्दनकियारी (अ०जा०)—बाघमारा उपखण्ड में चन्दनकियारी पुलिस थाना और चास पुलिस थाने की बिजुलिया, अलकुसा, बुढ़िविनौर, खमारबेन्दी, दुधिगाजर, कुरा, डावरटुपरा, जैतारा, पुंडरू और सरडाहा ग्राम पंचायतों ।

धनबाद जिला

38. सिन्दरी—धनबाद सदर उपखण्ड में सिन्दरी, बलियापुर और गोविन्दपुर पुलिस थाने ।

39. निरसा—धनबाद सदर उपखण्ड में निरसा और चिरकुंडा पुलिस थाने ।

40. धनबाद—धनबाद सदर उपखण्ड में धनबाद, पुटकी और केन्दुआडीह पुलिस थाने ।

41. झरिया—धनबाद सदर उपखण्ड में झरिया और जोरापोखर पुलिस थाने ।

42. टुँडी—धनबाद सदर उपखण्ड में टुँडी पुलिस थाना, बाघमारा उपखण्ड में तोप चांची पुलिस थाना और कतरास पुलिस थाने की धरकिरो, दलुडीह, राजांज, बगदाह, धावाचिता, नगरी, कलां और राकमनाली-चन्दौर ग्राम पंचायतों ।

43. बाघमारा—बाघमारा उपखण्ड में बाघमारा पुलिस थाना और कतरास पुलिस थाना (धरकिरो, दलुडीह, राजगंज, बागदाह, ध्रावाचिता, नगरी, कला और रामकनाली-चन्दौर ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ; और धनबाद सदर उपखण्ड में जोगता पुलिस थाना ।

(पूर्वी) सिंहभूम जिला

44. बहरागोड़ा—धालभूम उपखण्ड में बहरागोड़ा और चाकुलिया पुलिस थाने ।

45. घाटशिला (अ०ज०जा०)—धालभूम उपखण्ड में घाटशिला पुलिस थाना और मूसाबानी पुलिस थाना (पलासवनी, अस्ताकवाली, नुनिया, कुमड़ासोल, बड़ाकनजिया, बोमरो, बनगोरिया और दामूडीह ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ।

46. पोटका (अ०ज०जा०)—धालभूम उपखण्ड में पोटका पुलिस थाना, ¹[मूसाबानी] पुलिस थाने की पलासवनी, अस्ताकवाली, नुनिया, कुमड़ासोल, बड़ाकनजिया, बोमरो, बनगोरिया और दामूडीह ग्राम पंचायतें ; जुगसलाई पुलिस थाने में वागबेड़ा टाउन और करनडीह पुरिहासा, हरखरघुटु बागबेड़ा ग्राम पंचायतें और 1167-कीताडीह ग्राम ।

47. जुगसलाई (अ०जा०)—धालभूम उपखण्ड में जुगसलाई पुलिस थाना (बागबेड़ा टाउन और करनडीह, पुरिहासा, हरखरघुटु, बागबेड़ा ग्राम पंचायतें और 1167-कीताडीह ग्राम को छोड़कर), गोलमुरी और पटमदा पुलिस थाने ।

48. जमशेदपुर पूर्व—धालभूम उपखण्ड में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जनगणना वार्ड सं० 20 और 23 से 40 तक ।

49. जमशेदपुर पश्चिम—धालभूम उपखण्ड में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जनगणना वार्ड सं० 20 और 23 से 40 तक को छोड़कर) ।

(पश्चिमी) सिंहभूम जिला

50. ईचागढ़—सरायकेला उपखण्ड में ईचागढ़, चांडिल और नीमडीह पुलिस थाने ।

51. सरायकेला (अ०ज०जा०)—सरायकेला उपखण्ड में सरायकेला नगरपालिका और सरायकेला पुलिस थाने की गोविन्दपुर, पान्ड्रा, मानिक बाजार, टंगरानी, पठानमारा, जोरड़हा, गुरगुड़िया और बड़ाकांड़ा ग्राम पंचायतें, राजनगर पुलिस थाना (98-दिवी ग्राम को छोड़कर) और आदित्यपुर पुलिस थाना ।

52. चाईबासा (अ०ज०जा०)—चाईबासा सदर उपखण्ड में चाईबासा सदर और झिंकपानी पुलिस थाने और चाईबासा मुफकसिल पुलिस थाना (भोया केयादचालम, डोमरा-पुरिनियां, लोटा, ठाकुरागुटु, दोपाई, गमहारिया सारदा, मकामहातू, खुंटपानी, चीरू और राजबासा ग्राम पंचायतों की छोड़कर) ।

53. मझगांव (अ०ज०जा०)—चाईबासा सदर उपखण्ड में मझगाव और मंझारी पुलिस थाने ।

54. जगन्नाथपुर (अ०ज०जा०)—चाईबासा सदर उपखण्ड में नोवामुंडी और गुवा पुलिस थाने और मनोहरपुर पुलिस थाने की कुथर्विरा, उरकिया, मकरण्डा थलकोबाद (भाग-1) और छोटानागरा (भाग-1) ग्राम पंचायतें ।

55. मनोहरपुर (अ०ज०जा०)—चाईबासा सदर उपखण्ड में मनोहरपुर पुलिस थाना [कुथर्विरा, उरकिया, मकरण्डा थलकोबाद (भाग-1) और छोटानागरा (भाग-1) ग्राम पंचायतों को छोड़कर] और चक्रधरपुर पुलिस थाने की बेड़ालुमिन, जोजोदा, सेरेनादा औरेंगा, झिलरुवा, गोइलकेरा, कुइरा, कदमदिहां, दलाईकेला, सोनुआ-जोरापोखर, पोड़ाहाट, सोगोइसाई, गुदरी, जाराकेल, असन्तालिया, दलकी-गोविन्दपुर, भालूरुंगी, हाड़ीमारा, दुनियान-गजपुर, बांडु, पोरेंगरे, कोलाइड़ा, कुल्डा, बारी, लोन्जो, बेड़ाकायम, ममाइल, पिरिंग, कोमरोडा, कोमरोडा-डारियो, दुरा-जाते और बांसकाटा ग्राम पंचायतें ।

56. चक्रधरपुर (अ०ज०जा०)—चाईबासा सदर उपखण्ड में चक्रधरपुर पुलिस थाना (बेड़ालुमिन, जोजोदा, सेरेनादा, औरेंगा, झिलरुवा, गोइलकेरा, कुइरा, कदमदिहां, दलाईकेला, सोनुआ-जोरापोखर, पोड़ाहाट, सोगोइसाई, गुदरी, जाराकेल, असन्तालिया, दलकी-गोविन्दपुर, भालूरुंगी, हाड़ीमारा, दुनियान-गजपुर, बांडु, पोरेंगरे, कोलाइड़ा, कुल्डा, बारी, लोन्जो, बेड़ाकायम, ममाइल, पिरिंग, कोमरोडा, कोमरोडा-डारियो, दुरा-जाते और बांसकाटा ग्राम पंचायतों को छोड़कर) ।

57. खरसांवा (अ०ज०जा०)—सरायकेला उपखण्ड में खरसांवा और कुचाई पुलिस थाना और सरायकेला पुलिस थाना (सरायकेला नगरपालिका और गोविन्दपुर, पारा, मानिक बाजार, टंगरानी, पठानमारा, जोरड़हा, गुरगुड़िया और बड़ाकांड़ा ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और राजनगर पुलिस थाने का 98-दिवी ग्राम, और चाईबासा मुफकसिल पुलिस थाने के भोया केयादचालम, डोमरा-पुरिनियां, लोटा, ठाकुरागुटु, दोपाई गमहारिया, सारदा, मटका महातू, खुंटपानी, चीरू और राजबासा ग्राम पंचायतें ।

रांची जिला

58. तमाड़ (अ०ज०जा०)—खूटी उपखण्ड में तमाड़, अड़की और बुन्दु पुलिस थाने ।

59. तोरपा (अ०ज०जा०)—खूटी उपखण्ड में तोरपा और रनिया पुलिस थाने और कर्रा पुलिस थाने की गुमड़, गोविन्दपुर, तिलमी, लापा, जारियागढ़, उड़िकेल और हुटुब ग्राम पंचायतें ; तथा सिमडेगा उपखण्ड में बानो पुलिस थाना ।

¹ अधिसूचना सं० सांकानि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित ।

60. खूंटी (अ०ज०जा०)—खूंटी उपखण्ड में खूंटी और सूरहू पुलिस थाने और कर्रा पुलिस थाना (गुमड़, गोविन्दपुर, तिलमी, लापा, जरियागढ़, उड़िकेल और हुटुब ग्राम पंचायतों को छोड़कर)।

61. सिल्ली—रांची सदर उपखण्ड में सिल्ली पुलिस थाना और अनगाड़ा पुलिस थाने की बरवादाग, टाटी, जोन्हा, काशीडीह, मेरहा अम्बाझरिया और कोन्ताटोली ग्राम पंचायतें; तथा खूंटी उपखण्ड का सोनाहातु पुलिस थाना।

62. खिजरी (अ०ज०जा०)—रांची सदर उपखण्ड में ओरमांझी, [नामकुम] और हटिया पुलिस थाने और अनगाड़ा पुलिस थाना (बरवादाग, टाटी, जोन्हा, काशीडीह, मेरहा अम्बाझरिया और कोन्ताटोली ग्राम पंचायतों को छोड़कर)।

63. रांची—रांची सदर उपखण्ड में रांची कोतवाली पुलिस थाने की रांची नगरपालिका।

64. हटिया—रांची सदर उपखण्ड में जगल्लाथपुर, रातू और डोरन्डा पुलिस थाना और रांची कोतवाली पुलिस थाना (रांची नगरपालिका को छोड़कर)।

65. कांके (अ०जा०)—रांची सदर उपखण्ड में कांके, रांची सदर, बुडमु और खेलारी पुलिस थाने।

66. मान्डर (अ०ज०जा०)—रांची सदर उपखण्ड में वेडो, मान्डर और लापुंग पुलिस थाने।

गुमला जिला

67. सिसई (अ०ज०जा०)—गुमला उपखण्ड में सिसई, कामडारा और बसिया पुलिस थाने।

68. गुमला (अ०ज०जा०)—गुमला उपखण्ड में गुमला पुलिस थाने की गुमला नगरपालिका और हुरहरिया, घटगांव, असनी, चन्दाली, तेलगांव, पुगू, बंगरू, करौन्दी, डुमरडीह और सुरकुन्डा ग्राम पंचायतें तथा रायडीह, चैचपुर और डुमरी पुलिस थाने।

69. बिशुनपुर (अ०ज०जा०)—गुमला उपखण्ड में बिशुनपुर और धावरा पुलिस थाने और गुमला पुलिस थाना (गुमला नगरपालिका और हुरहरिया, घटगांव, असनी, चन्दाली, तेलगांव, पुगू, बंगरू, करौन्दी, डुमरडीह और सुरकुन्डा ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और लोहरदगा उपखण्ड में सेनहा पुलिस थाने।

70. सिमडेगा (अ०ज०जा०)—सिमडेगा उपखण्ड में सिमडेगा और कुरडेग पुलिस थाने तथा गुमला उपखण्ड में पालकोट पुलिस थाना।

71. कोलेविरा (अ०ज०जा०)—सिमडेगा उपखण्ड में कोलेविरा, टेट्टीटांगर और बोल्वा पुलिस थाने।

लोहरदगा जिला

72. लोहारदगा (अ०ज०जा०)—लोहरदगा उपखण्ड में लोहरदगा, कुरू और किसको पुलिस थाने।

पलामू जिला

73. मनिका (अ०ज०जा०)—लातेहार उपखण्ड में लातेहार पुलिस थाना [लातेहार (अधिसूचित क्षेत्र समिति) और पोचरा, लुटी, कैमा, कुरा, विशुनपुर, मोंगर, निंदिर, लहरपुर और जालिम ग्राम पंचायतों को छोड़कर] तथा बरवाडीह, गारू और महुआडांड पुलिस थाने।

74. लातेहार (अ०जा०)—लातेहार उपखण्ड में लातेहार पुलिस थाने की लातेहार (अधिसूचित क्षेत्र समिति) और पोचरा, लुटी, कैमा, कुरा, विशुनपुर, मोंगर, निंदिर, लहरपुर और जालिम ग्राम पंचायतें तथा चन्द्वा और बालुमथ पुलिस थाने।

75. पांकी—पलामू सदर उपखण्ड में पांकी, लेसलीगंज और मानातू पुलिस थाने।

76. डालटेनगंज—पलामू सदर उपखण्ड में डालटेनगंज और चैनपुर पलिस थाने तथा ; गढ़वा उपखण्ड में भंडरिया पुलिस थाना।

77. विश्रामपुर—पलामू सदर उपखण्ड में विश्रामपुर पुलिस थाना ; तथा गढ़वा उपखण्ड में मद्दिआंव पुलिस थाना।

78. छतरपुर (अ०जा०)—पलामू सदर उपखण्ड में छतरपुर और पाटन पुलिस थाने।

79. हुसैनाबाद—पलामू सदर उपखण्ड में हुसैनाबाद और हरिहरगंज पुलिस थाने।

गढ़वा जिला

80. गढ़वा—गढ़वा उपखण्ड में गढ़वा पुलिस थाना (जरही, बालेखार, रारो, सोनेहारा और डंडई ग्राम पंचायतों को छोड़कर) तथा रंका पुलिस थाना।

81. भवनाथपुर—गढ़वा उपखण्ड में भवनाथपुर और नगर उन्टारी पुलिस थाने तथा गढ़वा पुलिस थाने की जरही, बालेखार, रारो, सोनेहारा और डंडई ग्राम पंचायतें।

¹ अधिसूचना सं० सा०का०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित।

तीसरी अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

वे आसीन सदस्य जो बिहार विधान परिषद् के अपनी-अपनी वर्तमान पदावधि तक सदस्य रहेंगे।

(i) [चौथी अनुसूची] की मद (1) में विनिर्दिष्ट ग्यारह निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य।

(ii) बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य, अर्थात् :—

- “1. श्री सरफराज अहमद
- 2. श्री सरयू राय
- 3. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा
- 4. श्री भूतनाथ सोरेन
- 5. श्री राजेन्द्र नाथ शहदेव
- 6. श्रीमती विभा रंजन
- 7. श्री बद्री नारायण लाल
- 8. श्री प्रवीण सिंह।”¹

चौथी अनुसूची

(धारा 18 देखिए)

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (बिहार) परिसीमन आदेश, 1951 के संशोधन

(1) सारणी में, निम्नलिखित से संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें—

- (i) भागलपुर एवं उत्तरी छोटानागपुर (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (ii) दक्षिणी छोटानागपुर (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (iii) भागलपुर एवं उत्तरी छोटानागपुर (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (iv) दक्षिणी छोटानागपुर (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (v) संथाल परगना (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (vi) हजारीबाग (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (vii) पिरिडीह (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (viii) रांची (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (ix) पलामू (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (x) धनबाद (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;
- (xi) पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम (स्थानीय प्राधिकारी) निर्वाचन-क्षेत्र ;

(2) सारणी में, स्तंभ 2 में,—

(i) स्तंभ (1) में “कोसी (स्नातक) निर्वाचन-क्षेत्र” के सामने “खगरिया” शब्द के पश्चात् “भागलपुर-मुंगेर” शब्द अंतःस्थापित करें;

(ii) स्तंभ (1) में “कोसी (शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र” के सामने “खगरिया” शब्द के पश्चात् “भागलपुर-मुंगेर” शब्द अंतःस्थापित करें।

¹ अधिसूचना सं० सांका०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 23 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(i) विहार राज्य से संबंधित भाग III में मद सं० 5 में से “(उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर खंडों और संथाल परगना जिलों को छोड़कर),” कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) भाग 6—हिमाचल प्रदेश के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“भाग 6क—ज्ञारखंड

1. बांतर

¹[2. बौरी]

3. भोगता

4. भुइया

5. चमार, मोची

6. चौपाल

¹[7. डाबगर]

8. धोबी

9. डोम, धनगढ़

10. दुसाध, धारी, धरही

11. घासी

12. हलालखोर

¹[13. हरि, मेहतर, भंगी]

14. कंजर

¹[15. कुररियार]

16. लालबेगी

17. मुसहर

18. नट

19. पान, स्वासी

20. पासी

21. रजवार

22. तुरी”।

¹ अधिसूचना सं० सांका०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित ।

छठी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

1. पैरा 2 में, “21” अंकों के स्थान पर “22” अंक रखे जाएंगे ।

2. अनुसूची में,—

(i) बिहार राज्य से संबंधित भाग 3 में मद सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और मद सं० 7 से 30 को मद सं० 6 से 29 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ii) भाग 21 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“भाग—22-झारखण्ड

1. असुर
2. वेगा
3. बनजारा
4. बटुडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. विरजिया
9. चेरो
10. चिक वराइक
11. गोंड
12. गोराइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान
19. कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. माहली
23. माल पहारिया
24. मुण्डा
25. उरांव
26. परहैया

¹[27. संताल]

28. सौरिया पहाड़िया

29. सावर

30. भूमिज ।”

सातवीं अनुसूची

[धारा 46 (1) देखिए]

कठिपय निधियों में विनिधान और जमा

1. राज्य भविष्य निधियां ।
2. न्यास और विन्यास ।
3. बीमा और पेंशन निधियां ।
4. अवक्षयण आरक्षित निधियां—सरकारी वाणिज्यिक विभागों और उपक्रमों से संबंधित ।
5. अकाल राहत निधियां ।
6. विनिधान लेखा ।
7. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विकास निधि ।
8. सरकारी वाणिज्यिक विभागों और उपक्रमों की साधारण आरक्षित निधियां ।
9. जर्मिंदारी उत्सादन निधियां ।
10. आपदा राहत निधि विनिधान लेखा ।
11. राजस्व निक्षेप ।
12. सुरक्षा निक्षेप ।
13. सिविल न्यायालयों के निक्षेप ।
14. दंड न्यायालयों के निक्षेप ।
15. वैयक्तिक निक्षेप ।
16. न्यास ब्याज निधियां ।
17. लोक निर्माण निधियां ।
18. वन निक्षेप ।
19. लोक निधियों के निक्षेप ।
20. अन्य विभागीय निक्षेप ।
21. विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अधीन निक्षेप ।
22. लोक निकायों या प्राइवेट व्यष्टियों के लिए किए गए संकर्मों के लिए निक्षेप ।
23. प्राइवेट निकायों के लिए किए गए संकर्मों के लिए सरकारी सेवकों द्वारा प्राप्त फीसों के निक्षेप ।
24. निर्वाचनों से संबंधित निक्षेप ।
25. खान श्रमिक कल्याण निक्षेप ।
26. शैक्षणिक संस्थाओं के निक्षेप ।
27. साधारण भविष्य निधि में अदावाकृत निक्षेप ।
28. अन्य भविष्य निधियों में अदावाकृत निक्षेप ।

¹ अधिसूचना सं० सा०का०नि० 675(अ), द्वारा तारीख (19-08-2003 से) प्रतिस्थापित ।

29. शराब, गांजा और भांग की लागत कीमत मद्दे निषेप।
30. जिला निधियां।
31. नगरपालिका निधियां।
32. छावनी निधियां।
33. बीमा संगम की निधियां।
34. राज्य परिवहन निगम निधि।
35. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकरण निधि।
36. राज्य आवास निधियां।
37. पंचायत निकाय निधियां।
38. शिक्षा निधियां।
39. चिकित्सा और पूर्ति निधियां।
40. अन्य निधियां।
41. केन्द्रीय सड़क से आर्थिक सहायता।
42. प्रकीर्ण निषेप।

आठवीं अनुसूची

(धारा 53 देखिए)

पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत दायित्व का प्रभाजन

1. पैरा 3 में वर्णित समायोजनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य, नियत तारीख से पूर्व मंजूर की गई पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत, अपने-अपने खजानों से संदाय करेगा।
2. उक्त समायोजनों के अधीन रहते हुए, विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे उन अधिकारियों की पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के बारे में दायित्व जो नियत दिन के पहले सेवानिवृत्त होते हैं या सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले जाते हैं किंतु पेशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए जिनके दावे उस दिन के ठीक पहले बकाया हैं, बिहार राज्य का होगा।
3. उक्त समायोजनों के अधीन रहते हुए, सधम प्राधिकारी द्वारा ऐसी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की मंजूरियां उन मामलों में दी जा सकेंगी जिनमें उनका कार्यालय झारखंड राज्य के क्षेत्र में आता है।
4. नियत दिन को प्रांरभ होने वाली और उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि की बाबत तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष की बाबत पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के बारे में सब उत्तरवर्ती राज्यों को किए गए कुल संदायों को संगणना में लिया जाएगा। पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत विद्यमान बिहार राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजन प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने वाले किसी उत्तरवर्ती राज्य को आधिक्य की रकम की प्रतिपूर्ति, कम संदाय करने वाले उत्तरवर्ती राज्य द्वारा की जाएगी।
5. नियत दिन के पहले अनुदत्त की गई और विद्यमान राज्य के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र में ली जाने वाली पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के बारे में विद्यमान बिहार राज्य का दायित्व, पैरा 3 के अनुसार किए जाने वाले समायोजनों के अधीन रहते हुए बिहार राज्य का दायित्व होगा, मानो ऐसी पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे पैरा 1 के अधीन बिहार राज्य के किसी खजाने से लिए गए हों।
6. विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियत दिन के ठीक पहले सेवा कर रहे और उस दिन या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले किसी अधिकारी की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के बारे में दायित्व, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे अनुदत्त करने वाले उत्तरवर्ती राज्य का होगा, किन्तु किसी ऐसे अधिकारी को, विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा के कारण माने जा सकने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों का वह अंश उत्तरवर्ती राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आंबटित किया जाएगा और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे अनुदत्त करने वाली राज्य सरकार, अन्य उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य से इस दायित्व का उसका अंश प्राप्त करने की हकदार होगी।
7. इस अनुसूची में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के संराशीकृत मूल्य के प्रति निर्देश भी है।

नौवीं अनुसूची

[धारा 65 (1) देखिए]

राज्य के स्वामित्वाधीन निगमों/कंपनियों की सूची

1. बिहार राज्य उद्योग विकास निगम
2. बिहार राज्य चमड़ा विकास निगम
3. बिहार राज्य इलैक्ट्रोनिकी विकास निगम
4. बिहार स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड
5. बिहार राज्य औषधि और रसायन विकास निगम
6. बिहार राज्य फल और सब्जी विकास निगम
7. बिहार स्टेट डेयरी कार्पोरेशन लिमिटेड
8. बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम
9. बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड
10. बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
11. बिहार राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम
12. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
13. बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड
14. बिहार स्टेट फारेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
15. बिहार स्टेट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
16. बिहार स्टेट सीड़स कार्पोरेशन लिमिटेड
17. बिहार स्टेट फिश सीड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
18. बिहार स्टेट भांडागार निगम
19. बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
20. बिहार राज्य सङ्क परिवहन निगम
21. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम
22. बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
23. बिहार स्टेट-कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
24. बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
25. बिहार राज्य आवास बोर्ड
26. बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
27. बिहार स्टेट पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
28. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
29. बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
30. बिहार स्टेट हिल एरिया एंड इरिगेशन डेवलपमेंट लिमिटेड
31. पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
32. बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
33. रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

34. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
35. उत्तरी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
36. दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
37. पटना क्षेत्र विकास प्राधिकरण
38. रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण
39. मुजफ्फरपुर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
40. दरभंगा क्षेत्र विकास प्राधिकरण
41. गया क्षेत्र विकास प्राधिकरण
42. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
43. बिहार राज्य जल और मल व्यवन बोर्ड
44. बिहार राज्य वित्तीय निगम
45. बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
46. बिहार स्टेट पंचायती राज फाइनेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
47. बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
48. बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
49. इलेक्ट्रीसिटी कार्पोरेशन लिमिटेड
50. खान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद
51. हजारीबाग खान बोर्ड
52. भागलपुर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, भागलपुर
53. महिला विकास निगम
54. पिछड़ा वर्ग विकास निगम
55. अनुसूचित जाति विकास निगम
56. अनुसूचित जनजाति विकास निगम

दसवीं अनुसूची

(धारा 70 देखिए)

कठिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना

प्रशिक्षण संस्था/केन्द्रों की सूची

1. श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
2. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय।
3. बिहार ग्रामीण विकास संस्थान।
4. ग्रामीण हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र।
5. ग्रामीण जनजाति हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र।
6. खिलौने, मृत्तिका शिल्प माल, कशीदाकारी और एप्लीक, सींग के बने माल और कर्तन और सिलाई के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र।
7. आदर्श काष्ठ कर्म कार्यशाला/लौह कार्यशाला।
8. इंडोइनिश टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर।
9. सभी सरकारी औद्योगिक संस्थान।

- एन सी वी टी से संबद्ध
—असंबद्ध ।
10. सभी प्राइवेट औद्योगिक संस्थान,
—एन सी वी टी से संबद्ध
—असंबद्ध ।
 11. बी०आई०टी०, मिन्दरी ।
 12. आर०आई०टी०, जमशेदपुर ।
 13. राजकीय पालीटैकनिक, धनबाद ।
 14. राजकीय पालीटैकनिक, रांची ।
 15. राजकीय पालीटैकनिक, आदित्यपुर ।
 16. राजकीय पालीटैकनिक, खुतरी ।
 17. राजकीय पालीटैकनिक, लातेहार ।
 18. राजकीय महिला पालीटैकनिक, जमशेदपुर ।
 19. राजकीय महिला पालीटैकनिक, रांची ।
 20. राजकीय महिला पालीटैकनिक, बोकारो ।
 21. खान संस्था, धनबाद ।
 22. खान संस्था, बाघा ।
 23. खान संस्था, कोडरमा ।
 24. राजकीय पालीटैकनिक, दुमका ।
 25. राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, रांची ।
 26. राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, हजारीबाग ।
 27. राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय, डाल्टेनगंज ।
 28. सैनिक विद्यालय, तिलैया ।
 29. नेतरहाट विद्यालय ।
 30. इन्दिरागांधी कन्या विद्यालय, हजारीबाग ।
-